

25/6/25 पशावली आज पेन्शन में ली गई। बस
अभ्यपन्न सूची में रखी जा चुकी
है। प्रार्थना पत्र 144 CPC स्वीकार
किया जाता है, विस्तृत निष्पत्ति
अलग से लिखवाया जाकर शामिल
पशावली किया गया। पशावली
नंबर से कम की जाकर बालिवल
कंपनर भी जाती है आदेश
सुनाया गया है।

सहायक कलेक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

